रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082024-256549
CG-DL-E-22082024-256549

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3233] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2024/ श्रावण 30, 1946
No. 3233] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2024/ SHRAVANA 30, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2024

का.आ. 3549 (अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3064(अ) तारीख 18 सितम्बर, 2017 द्वारा, एक अधिसूचना जारी की थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3064(अ) तारीख 18 सितम्बर, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3064(अ) तारीख 18 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.** – केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनी एक मानीटरी समिति का गठन करती है, अर्थात्: -

(i)	संभागायुक्त संभाग, रीवा	- अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	जिला कलेक्टर सिंगरौली जिला	- सदस्य, पदेन;
(iii)	अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग रीवा	- सदस्य, पदेन;
(iv)	अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य विभाग रीवा	- सदस्य, पदेन;
(v)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिंगरौली	- सदस्य, पदेन;
(vi)	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का एक प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
(vii)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिंगरौली का एक प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
(viii)	सिंगरौली के होटल एवं लॉज एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
(ix)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का तीन वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	- सदस्य;

(x) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिकी या पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ - सदस्य;

(xi) क्षेत्र संचालक घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सीधी - सदस्य सचिव, पदेन।"

(2) मानीटरी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अधीन दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(3) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मानीटरी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(4) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(5) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के एक प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को इस अधिसूचना से संलग्न **उपाबंध-III** में विनिर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह ठीक समझे।"

[फा.सं. 25/85/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 18 सितम्बर, 2017 को अधिसूचना संख्या का.आ. 3064(अ) द्वारा से प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2024

S.O. 3549 (E).— WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Ghugua Fossil National Park, Madhya Pradesh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.3064(E), dated the 18th September, 2017;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3064(E), dated the 18th September, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3064(E), dated the 18th September, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - (1) The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the Provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-

(i)	Divisional Commissioner Division, Rewa	– Chairman, *ex officio*;
(ii)	District Collector Singrauli District	– Member, *ex officio*;
(iii)	Superintending Engineer Public Works Department Rewa	– Member, *ex officio*;
(iv)	Superintending Engineer Public Health Department Rewa	– Member, *ex officio*;
(v)	Chief Executive Officer, District Panchayat Singrauli	– Member, *ex officio*;
(vi)	One Representative of the Town and Country Planning Department	– Member, *ex officio*;
(vii)	One Representative of the Pollution Control Board Singrauli	– Member, *ex officio*;

(viii)	A representative of the Association of Hotels and Lodges of Singrauli	– Member, *ex officio*;
(ix)	One representative of non-governmental organisation working in the field of environment nominated by the State Government of Madhya Pradesh for a period of three years	– Member;
(x)	One expert in the area of ecology or environment nominated by the State Government of Madhya Pradesh for a period of three years	– Member;
(xi)	Field Director Ghughua Fossil National Park, Sidhi	- Member Secretary, *ex officio*.

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the that notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite one representative or expert from Department concerned, one representative from the industry associations or the stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the action taken report annually of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in pro forma specified in **Annexure-III** appended to this notification.

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”.

[F. No. 25/85/2015-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 3064(E), dated the 18th September, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA